भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5231
सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

सुशिक्षित लोगों में बेरोजगारी

5231. श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 20 से 29 वर्ष की आयु के स्नातक उच्च प्रतिशत बेरोजगारी का सामना करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सुशिक्षित लोगों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें इस संबंध में किए गए उपाय शामिल हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अध्ययनों से पता चला है कि बेरोजगारी का इतना उच्च स्तर हिंसक सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-2022 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 15.0%, 12.9% एवं 12.4% थी जो 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

इसके साथ-साथ, नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के विभिन्न शैक्षिक स्तर की अनुमानित बेरोजगारी दर निम्नानुसार हैः

	बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शिक्षा का स्तर	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
निरक्षर	0.6	0.4	0.4
साक्षर और प्राथमिक तक	1.4	1.4	1.0
मीडिल	3.4	2.5	2.6
स्कैण्डरी	4.1	3.8	3.4
हायर स्कैण्डरी	7.9	6.6	6.3
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स	14.2	14.2	13.0
स्नातक	17.2	15.5	14.9
पोस्ट ग्रेजुएट और उससे अधिक	12.9	12.5	11.4
स्कैण्डरी और उससे अधिक	10.1	9.1	8.6
अखिल भारत	**4.8**	**4.2**	**4.1**

स्रोत: एमओएसपीआई

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और रोजगार ढूंढने वालों के कौशल के बीच एक असुंतलन हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों की तलाश में उच्च शिक्षित लोगों के बीच उच्च बेरोजगारी होती है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-**19** के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.02.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक इस योजना के तहत 39.65 करोड़ ऋण खाते अनुमोदित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****